संख्या–106 / 22–4–2011–48(3) / 10

प्रेषक,

सत्य प्रकाश पंखा,
उप सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग–4 लखनऊ:दिनांक– 07 फरवरी,2011

विषयः– केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में बैरकों के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–27080 / नम–5 / (44) दिनांक–28.09.2010 के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओवर क्राउडिंग की समस्या के समाधान हेतु केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में 30 बन्दी क्षमता की डबल स्टोरी 15 नग (मानकीकरण के अनुसार 120 क्षमता की 02 मंजिला बैरक 03 नग, 60 क्षमता की 01 नग तथा 30 क्षमता की 01 नग) बैरकों के निर्माण हेतु प्राप्त आगणन का मूल्यांकन प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से कराया गया। प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रायोजना की लागत रु0–4,41,20,000 / – आंकलित की गयी है। अतः श्री राज्यपाल महोदय सम्यक् विचारोपरान्त केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में उक्त बैरकों के निर्माण हेतु रु0–रु0–4,41,20,000 / – (रूपये चार करोड़ इकतालिस लाख बीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष निम्नलिखित शर्तो के अधीन वित्तीय वर्ष 2010–2011 में रु0–2,20,00,000 / – (रूपये–दो करोड़ बीस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(क) आगणन में प्रस्तावित मात्राओं, विशिष्टियों, प्राविधानों और डिजाइन के युक्तियुक्त होने, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर आधारित होने, मानकीकरण आदेशों के अनुरूप होने एवं नियमानुसार होने का दायित्व चयनित कार्यदायी संस्था उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम एवं महानिरीक्षक, कारागार का होगा।

(ख) प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित लागत विश्लेषण की प्रति संलग्न है। तदनुसार ही निर्माण कार्यो को कराने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक, कारागार का होगा।

(ग) महानिरीक्षक कारागार निर्माण कार्यो की वित्तीय / भौतिक प्रगति की मासिक आख्या नियमित रूप से शासन को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

PTO

(घ) संबंधित निर्माण इकाई से निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं का होगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(च) स्वीकृत धनराशि के त्रैमासिक प्रगति विवरण/उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अन्य संबंधित विवरण पूर्व प्रेषित निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रारूपों पर तथा नियमित रूप से यथा समय महानिरीक्षक, कारागार द्वारा शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(छ) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन आदि के संबंध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या बी–1–2658/दस–2000 दिनांक 10 जुलाई, 2002, शासकीय निर्माण कार्यो के संपादन विषयक वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8 के शासनादेश संख्या ई–8–215/दस–1998 दिनांक 9 मार्च, 1998 एवं तद्नुक्रम में जारी अनुवर्ती शासनादेशों में दिए गए निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और समस्त निर्माण कार्य प्रक्रिया और नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सम्पन्न कराये जायेंगे।

(ज) निर्माण कार्यों के लिए किसी भी दशा में स्वीकृत/अनुमोदित धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा और स्वीकृत/अनुमोदित धनराशि का व्यय आगणन में स्वीकृत कार्यो के लिए ही किया जायेगा।

(झ) आगणन में अनुमोदित समस्त निर्माण कार्यों को 30 जून, 2011 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराया जायेगा।

(ट) कारागार में अनावासीय भवनो का निर्माण शासनादेश संख्या–749/22–4–06–48(12)/05 दिनांक–29 जून, 2006 द्वारा निर्धारित मानचित्र, मानक, कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर कराया जायेगा।

(ठ) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण कार्यो की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(ड) अवमुक्त की जा रही प्रथम किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत अंश का उपयोग होने के बाद शेष धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक–26.3.2010 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

....3

(ढ) यह सुनिश्चित करने का दायित्व महानिरीक्षक, कारागार का होगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित हैं।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 25 के लेखा शीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–051–निर्माण–03–कारागारों का उच्चीकरण, नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार–24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से ही वहन किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या ई–12–309(1)/दस–2011, दिनांक–04 फरवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पंखा)
उप सचिव।

संख्या–106(1)/22–4–2011–तद् दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रधान महालेखाकार (सिविल–आडिट), उ0प्र0,इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ.प्र.,इलाहाबाद।
3– प्रबंध, निदेशक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
4– वित्त नियंत्रक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,उ0प्र, लखनऊ।
5– जिलाधिकारी, वाराणसी।
6– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
8– वेबमास्टर, गृह विभाग, उ0प्र0शासन।
9– गृह (पुलिस) अनुभाग–15
10– वित्त(व्ययनियंत्रण)अनुभाग–12/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
11– वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पंखा)
उप सचिव।